कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान, अरण्य भवन, झालाना, जयपुर

क्रमांकःएफ.(169)IT Project / उवसं / सू.प्रौ. / 2019–20 / 1245 दिनांक : 9/7/19

परिपत्र

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक दिनांक 09.04.2018 द्वारा राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियों के लिए उनके वर्ष 2017–18 के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) राज–काज सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरा जाना अनिवार्य किया गया है। इस कार्यालय के सम आदेश क्रमांक 1172 दिनांक 17.7.18 से राज्य वन अधिनस्थ सेवा (RO-I), राज्य अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग के समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2018–19 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) राज–काज सॉफ्टवेयर के माध्यम से भरना अनिवार्य किया गया है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 2सी(32)76 / गोप्र / प्रमुवस / पार्ट–V / 4152 / C दिनांक 20.09.2013 से विभाग में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) भरने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसी प्रकार राज्य सेवा के अधिकारियों के लिए मुख्य सचिव के परिपत्र क्रमांक प. 13(51)का. / क–1 / गो.प्र. / 2012 दिनांक 17.09.2012 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) भरने की सीमा निर्धारित की गई है।

गत दिनो यह ज्ञात हुआ की अधिकारियों द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) भरने में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं किया जा रहा है जिससे अधिकारियों की पदोन्नति आदि में कठिनाई आ रही है।

एतत् द्वारा समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (PAR) भरने की निर्धारित समय सीमा का पालन करे अन्यथा समय सीमा समाप्त होने पर अगले चरणों में अग्रेषित कर दिया जाएगा एवं इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

(दीपक भट्नागर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांकःएफ.(169)IT Project / उवसं / सू.प्रौ. / 2019–20 / दिनांक :

प्रतिलिपिः

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वन), शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ),राजस्थान जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान बायो डाइवर्सिटी बोर्ड, जयपुर।
4. निदेशक, वानिकी एवं वन्यजीव प्रशिक्षण संस्थान,जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास / प्रशासन।
6. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक।
7. समस्त मुख्य वन संरक्षक।
8. समस्त वन संरक्षक।
9. समस्त उप वन संरक्षक।

(बिपिन कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर